



(नियम 13)

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर आर.ए.एस.

श्री सीमेन्ट लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस बांगड़ नगर ब्यावर जिला अजमेर राजस्थान।	-बनाम-	मोहनलाल पुत्र जैसा जाति जाट निवासी ग्राम चोढाणी तहसल नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148(ए) जाब्ता दीवानी		मु.नं. 13 / 2022 RCMS No
आदेश	कार्यवाही विवरण	
14.10.22	<p>प्रार्थना पत्र बाबत कैवियट आवेदक की ओर से वकील श्री चन्द्रकांत शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के संबंध में वाद-प्रस्तुत होने पर आवेदक को सुना जाने हेतु प्रार्थना पत्र तलब की जावेगी। पत्रावली दिनांक 28.12.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू </p> <p> 28/12/22 पत्रावली पेश हुई। आज प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया है। अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही दिनांक 28.12.22 को पेश हो। ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ़ </p> <p> 16.1.23 पत्रावली पेश हुई। आज प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया है। अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही दिनांक 20.1.23 को पेश हो। </p> <p> 20/1/23 पत्रावली पेश हुई। आज प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया है। अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही दिनांक 28.1.23 को पेश हो। </p> <p> 18/1/23 पत्रावली पेश हुई। वकील इंविजयकान्त उपरि कैवियट प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2022 को दर्ज कीजते। प्रार्थना पत्र को दर्ज होने पर 03 माह से अधिक समय ही बीता है। उक्त अवधि दौरान न्यायालय हल्ला में कैवियट ने दर्ज खसरा नम्बर के संबंध में कोई प्रकलण प्रस्तुत नहीं किया है। कैवियट प्रार्थना पत्र को अतिरिक्त अवधि वॉजि है जो कि व्यतीत हो चुका है। कैवियट प्रार्थना पत्र अर्थात् पार होने से अग्रिम चलाने का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः प्रार्थना पत्र अर्थात् पत्रावली को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली केसल शुभारंभ होकर दर्ज नम्बर से अग्रिम हो गया काद लेखनीय जाफा काफिले करार हो। </p> <p style="text-align: right;">  ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ़ </p>	